UPMZ010080262026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3357 सन 2026

रितेश खारी पुत्र साहब सिंह
निवासी ग्राम बुआडा कलां खुर्द थाना खतौली
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—142 सन 2026
धारा —87, 352, 351 (2), 123, 333, 77, 64 (1), 226 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 (ई), 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम
थाना—खतौली
जनपद— मुजफ्फरनगर

22.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से थाना खतौली के अपराध संख्या—142 सन 2026 धारा —87, 352, 351 (2), 123, 333, 77, 64 (1), 226 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 (ई), 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि पीडिता बालिग है। पीडिता व आवेदक/अभियुक्त ने होशोहवास में आपसी रजामंदी से नैतिक वैदिक संस्कार समिति गांधी नगर गाजियाबाद में दिनांक 16.02.2026 को विवाह संपन्न किया था जिससे वी मुकदमा व उसके रिश्तेदार खुश नहीं थे। वादी ने अगले ही दिन आवेदक/अभियुक्त व पीडिता को जबरदस्ती बंधक बना लिया था तथा आवेदक/अभियुक्त व पीडिता के साथ मारपीट कर धमकी दी थी कि शादी की बात किसी को बतायी तो जान से मार देंगे और उनका विवाह प्रमाणपत्र भी फाड दिया था तथा आवेदक/अभियुक्त को पुलिस को सौंप दिया था और उसी दिन उसका चालान कर दिया गया।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.22 17:18:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने इस संबंध में स्वयं उपस्थित होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वादी मुकदमा ने एलानिया कहा था कि वह पीडिता की दूसरी शादी करेंगे और रितेश तथा उसके परिजन को जिंदा नहीं छोडेंगे। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि पीडिता आवेदक/अभियुक्त की विवाहिता पत्नी है तथा वादी ने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है तथा पीडिता की शादी कहीं ओर तय कर दी है। आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता की कोई आपत्तिजनक विडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है अपितू शादी की विडियो शेयर की थी।

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है तथा वह दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, अतिरिक्त शपथ पत्र मय संलग्नक, आवेदक/अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, विवाह संबंधी रंगीन फोटोग्राफ, नैतिक वैदिक संस्कार समिति गाजियाबाद द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय का खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक व वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता की ओर से जमानत पर आपत्ति करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा तमन्चे के बल पर अपने दो साथियों के साथ आकर वादी मुकदमा की पुत्री का दिनांक 16.02.2026 को प्रातः करीब छह बजे उस वक्त अपहरण कर लिया जब वह अपने घर से घेर में जा रही थी और उसे गाजियाबाद ले गया जहां जबरदस्ती उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उससे शादी कर ली। पीडिता किसी प्रकार से भागकर अपने घर पर पहुंची और सारी बातें अपने परिजन को बतायी। पीडिता ने अपने धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा डॉक्टर के समक्ष पीडिता ने आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने दो साथियों के साथ उसे कार से जबरदस्ती गाजियाबाद ले जाने और उसे नशीली कोल्डड्रिंक पिलाने तथा मन्दिर में शादी करने का कथन किया है। उसने डॉक्टर के समक्ष यह भी कथन किया है कि दिनांक 16.02.2026 व 17.02.2026 को आवेदक/अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाये थे और इससे पहले भी उसके साथ कई बार फोर्सफुली संबंध बनाये थे। अभियोजन की ओर से यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता की अश्लील विडियो बनायी जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार द्वारा घटना दिनांकि 17.02.2026 समय 00.00 बजे घ ाटनास्थल ग्राम बुआडा कलां थानांतर्गत खतौली के संबंध में दिनांक 09.05. 2026 को 20.33 बजे थाना खतौली पर इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 16.02.2026 को वादी की लडकी वर्णिका भाटी सुबह 6 बजे घर से घ ोर जा रही थी। तभी रास्ते में रितेश ने वर्णिका भाटी को रोका तथा बहला फुसलाकर तमन्चे के बल पर अपने दो साथियों के साथ गाडी में ले गया और उसकी लडकी को गाजियाबाद में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर कहीं शादी कर ली। जब वर्णिका भाटी दिनांक 17.02.2026 को शाम घर पहुंची तो उसने अपनी माता सविता को आप बीती बतायी कि रितेश ने झूठे बोल व डरा धमका कर उससे शादी कर ली और कहने लगा कि कल वे दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो उसने मना कर दिया। इस पर रितेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह मौका पाकर रितेश के चंगुल से भागकर अपने घर आयी। इसी दौरान रितेश ने कुछ नशे की चीज खिलाकर उसकी शादी की और अश्लील विडियो बना ली।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि वादी ने सोचा कि लडकी घर आ गयी है अपनी इज्जत के लिये कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन रितेश नहीं माना और वह लडकी पर दबाव बनाता रहा कि अगर उसके पास नहीं आयी तो वह उसकी सारी विडियो वायरल कर देगा और उसने दिनांक 07.05.2026 को शाम को उसकी बेटी की विडियो वायरल कर दी। वह बहुत डर गया। दिनांक 07.05.2026 की रात को रितेश अपने साथ दो अज्ञात लेागों के साथ उसके घर में घुस गया और रितेश तमन्चे के बल पर अपने साथ ले जाने के लिये जबरदस्ती करने लगा। बेटी ने शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर वह तथा उसकी पत्नी सरिता जाग गये देखा कि रितेश ने उसकी बेटी पर तमन्चा तान रखा है और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि उसके साथ चल नहीं तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। वादी ने वर्णिका को बचाने की कोशिश की। वे उसे धक्का देकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि उसने अपनी बेटी की शादी दिनांक 22.06.2026 को तय कर रखी है। वादी को डर है कि उसके व परिवार के साथ उक्त लोग किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। वादी को उक्त लोग डरा धमका रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता है पुलिस उनकी जेब में है।

5. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व अपने दो साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री का अपहरण कर ले जाने और उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर नशे की हालत में उससे जबरदस्ती मन्दिर में विवाह करने और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व यह भी आरोप है कि उसने पीडिता की अश्लील विडियो सोशल मिडिया

पर वायरल कर दी और उसके बाद पीडिता के घर पर आकर तमन्चे के बल पर पीडिता को अपने साथ ले जाने की कोशिश की।

विवेचना के अनुक्रम में पीडिता का धारा 180 बीएनएसएस का बयान अंकित किया गया जिसमे उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इसी प्रकार पीडिता ने अपने धारा 183 बीएनएसएस के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि ...रितेश लगभग चार पांच साल से उसका बॉय फ्रैंड है। रितेश का शादी का मन था उसका नहीं था। वह 2025 से ब्रैकअप करना चाह रही थी पर वह धमकी देता था कि जो भी फोटो विडियो है वायरल कर देगा और भाई आशुतोष को मार डालेगा तो ब्रैकअप नहीं हुआ। ब्रैकअप इसलिये करना था क्योंकि उससे शादी नहीं करनी थी। उसे गाजियाबाद ले आया और वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाई। हंसी आ रही थी। शाम को रूम लिया। अगले दिन वह कोर्ट गया और वह कमरे से निकलकर किसी का फोन लेकर काल करी तो घर पर बात नहीं हुई। जिन दीदी को फोन किया उनसे बताया तो उन्होंने बस में बैठाया। वह दिनांक 17.02.2026 को सायं को घर आ गयी। दिनांक 07.05.2026 को उसे दोपहर एक या डेढ बजे इंस्टाग्राम पर रितेश ने विडियो भेजी कि वह फांसी लगा रहा है। काल करी तो घर पर किसी ने फोन उठाया कि रितेश ने फांसी लगा ली। उसके बाद सांय को घर आया दो लडको के साथ छत से कूद कर। वह चिल्लाई तो मम्मी पापा आ गये तो वह चला गया। उसके हाथ में कटटा सा था। उसने फोटो वायरल कर दिये। धमकी दे रहा है कि उसकी जिंदगी तो खराब करेगा ही उसके बाप व भाई को भी नहीं छोडेगा।

इसी प्रकार पीडिता ने डॉक्टर के समक्ष आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे जबरदस्ती गाजियाबाद ले जाने और वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाने तथा मन्दिर में शादी करने का कथन किया है। इसी प्रकार यह भी कहा है कि दिनांक 16.02.2026 व 17.02.2026 को उसके साथ संबंध बनाये। इससे पहले भी कई बार उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाये हैं।

मुताबिक आदेश दिनांकित 10.07.2026 आवेदक/अभियुक्त को जिला कारागार से तलब किया गया था तथा पीडिता को भी व्यक्तिगत तौर से तलब किया गया था। परंतु सुनवाई के दौरान पीडिता उपस्थित नहीं आयी जबकि आवेदक/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। आवेंदक/अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि पीडिता तथा वह एक ही बिरादरी के हैं। वह पीडिता से शादी करने के लिये तैयार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि पीडिता की अन्यत्र शादी तय हो गयी है वह उसे भविष्य में परेशान नहीं करेगा।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता, दंड एवं गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र में बताये गये

आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **रितेश खारी पुत्र साहब सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 22.07.2026

sv